न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 65 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

1. हकीमखां पुत्र हुसैनखां उम्र 48 वर्ष बनाम जाति मुसलमान निवासी भीडे का पार तहसील रामसर जिला बाड़मेर

रेसपोडेंटगण

1.जानूखां पुत्र ईमामखां
2.रसूलखां पुत्र इमामखां
3.अनवरखां पुत्र जादमखां जाति मुसलमान निवासी भीडे का पार तहसील रामसर जिला बाड़मेर
4.शाखा प्रबन्धक, बाड़मेर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बाड़मेर शहर
5.शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामसरिया
6.श्रीमान तहसीलदार रामसर जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 11/2020 बआनवान जानूखां वगै. बनाम अनवरखां वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.10.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री वांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा रेसपोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—19.07.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खरीदसुदा एवं आधिपत्यसुदा कब्जे काश्त की भूमि मौजा सरीफ की ढाणी पटवार क्षेत्र भीडे का पार तहसील रामसर जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 289/141 रकबा 24.06 बीघा व खसरा नम्बर 291/146 रकबा 43.08 बीघा की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने पूर्व खातेदार जुमा पुत्र मेहू जाति मुसलमान निवासी पुड़पुडिया तहसील रामसर से जरिये पंजीबद्ध बेचान के दिनांक 21.03.1975 को खरीद की थी। विवादित आराजी पूर्व खातेदार जूमा व सच्चू वल्द पदमा की पैतृक एवं पुश्तैनी भूमि थी जिसमें से जुमा ने अपने 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को संयुक्त रूप से बेचान किया था। उक्त बेचान के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 27 व 61 स्वीकृत दिनांक 28.08.1976 द्वारा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम संयुक्त रूप अमल दरामद किये गये। वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/4—1/4 हिस्सा अर्थात संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा खातेदारी का है तथा इसी अनुसार बाहामी रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु वादग्रस्त आराजी में वादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के हिस्से खुल्ले हुऐ नहीं है इसलिए वादीगण अपने 1/2 हिस्से की घोषणा करवाकर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बंटवाडा करवाना चाहते है इस आशय का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद को अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज कर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये, जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने न्यायालय में उपस्थित हुए तथा विस्तृत जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वाद पत्र का पूर्ण रूप से खण्डन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने खेत खसरा नम्बर 289/141 रकबा 24.06 बीघा व खसरा नम्बर 291/146 रकबा 43.08 बीघा कुल दो खसरा कुल रकबा 67.16 बीघा मौजा सरीफ की ढाणी को मूल खातेदार जुम्मा पुत्र मेहू जाति मुसलमान निवासी पुडपुडिया से दिनांक 21.03.1975 को खरीद किया गया। उपरोक्त खरीदसुदा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा एवं वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा खरीदा था तथा इसी अनुसार विक्रेता जुम्मा को भी 1/3–1/3 हिस्से अनुसार बेचान की राशि अदा कर मौके पर 1/3–1/3 हिस्से अनुसार कब्जा किया था। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा होने के कथन को प्रतिवादीगण ने अपने जबाव में पूर्ण रूप से खण्डन किया है तथा वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पूर्ण रूप से खण्ड किया है तथा वादीगण का वादग्रस्त भूमि में वास्तविक रूप से 1/3 हिस्सा ही है तथा अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि में अपने 1/3 हिस्से पर पंजाब नेशनल बैंक से के सी सी ऋण प्राप्त किया गया है। वादग्रस्त भूमि के मौके पर वादीगण 1/3 हिस्से पर व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त वक्त खरीद से चला आ रहा है इसलिए अधीनस्थ न्यायायल को तहसीलदार रामसर से मौके की स्थिति के बारे में वास्तविक कब्जा काश्त के बारे में मौका रिपोर्ट तलब की जानी अति आवश्यक थी या न्यायालय को स्वयं मौके का निरीक्षण करना था तथा आस पडौस के सेढा पड़ौसियों व मौतबिरान से साक्ष्य एकत्रित करने के बाद ही प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना था परन्तु अधीनस्थ न्यायायल ने आनन फानन में समस्त कार्यवाही तीन चार में निपटा कर अपीलांट के हितों पर कुठाराघात किया गया। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2014(1) Page 320
RRT 2005(2) Page 784
RRT 2005(2) Page 1126

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खरीदसुदा एवं आधिपत्यसुदा कब्जे काश्त की भूमि मौजा सरीफ की ढाणी पटवार क्षेत्र भीडे का पार तहसील रामसर जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 289/141 रकबा 24.06 बीघा व खसरा नम्बर 291/146 रकबा 43.08 बीघा की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 ने पूर्व खातेदार जुमा पुत्र मेहू जाति मुसलमान निवासी पुड़पुडिया तहसील रामसर से जरिये पंजीबद्ध बेचान के दिनांक 21.03.1975 को खरीद की थी। विवादित आराजी पूर्व खातेदार जूमा व सच्चू वल्द पदमा की पैतृक एवं पुश्तैनी भूमि थी जिसमें से जुमा ने अपने 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को संयुक्त रूप से बेचान किया था। उक्त बेचान के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 27 व 61 स्वीकृत दिनांक 28.08.1976 द्वारा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के नाम संयुक्त रूप अमल दरामद किये गये। वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा अर्थात संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/4 हिस्सा खातेदारी का है तथा इसी अनुसार बाहामी रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2012(2) Page 1395

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अपीलांट द्वारा पेश काउण्टर क्लेम का निर्णय भी नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री आनन फानन में पारित की गई। अपीलांट को अपने काउन्टर क्लेम का वाद में अभिवचन करने का पूर्ण अधिकार है और उसे इससे वंचित करना न्यायसंगत नहीं ठहरता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित ठहरता है।

लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 11/2020 बअनवान जानूखां वगै. बनाम अनवरखां वगै. में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.10.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर दिया जाकर मूल वाद में तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली जाकर बाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.09.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा सिंघवी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर